न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 46/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–मदनलाल पिता बालुराम ढोली नि0 बाड़िया कंला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्रहलाद पिता सम्पतलाल ढोली नि0 बाड़िया कंला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–काली देवी पुत्री सम्पतलाल नि0 बाड़िया कंला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–पुष्पादेवी पुत्री सम्पतलाल नि0 बाड़िया कंला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–शांतिदेवी पत्नि सम्पतलाल नि0 बाड़िया कंला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–भैरू पिता गिरधारी बलाई नि0 नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–जगनाथ पिता नारायण ब्राहम्ण नि0 नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बंशी पिता नारायण ब्राहम्ण नि0 नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–रामलाल पिता नारायण ब्राहम्ण नि0 नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–शंकर पिता माधवलाल ब्राहम्ण नि0 नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–मांगीलाल पिता प्रताप ब्राहम्ण नि0 नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. कल्यामण कुम्हार

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 22.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नान्दशा मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम बाड़िया कंला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 23 रकबा 0.19 हे0, 24 रकबा 0.03 हे0, 26 रकबा 0.18 हे0, 33 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.59 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 142 पर स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मे दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 उक्त आराजियात के चारो तरफ के पड़ौसी होने से उन्हे पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार

दिनांक 17.02.2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 24.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बाड़िया कंला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 23 रकबा 0.19 हे0, 24 रकबा 0.03 हे0, 26 रकबा 0.18 हे0, 33 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.59 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 142 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 280/– अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा